

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-157/राजस्व/राहत/2015/२० नया रायपुर, दिनांक 11/01/2016
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(जिला रायपुर, मुंगेली, रायगढ़, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा को छोड़कर)
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत सूखा से हुई फसल क्षति अनुदान सहायता हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) आबंटन वर्ष 2015-16

विषयान्तर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति हेतु अनुदान सहायता हेतु आबंटन की मांग की गई है। प्रभावित तहसीलों में किसानों की हुई फसल क्षति हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245 -दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत मद के अन्तर्गत रुपये 30982.00 लाख (रुपय तीन अरब नौ करोड़ बियासी लाख मात्र) जिले के सम्मुख दर्शाये अनुसार मुख्य/लघुशीर्षों के अन्तर्गत आबंटन सौपा जाता है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला	मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष- 2245 दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-01-सूखा -101- निशुल्क सहायता-7710-फसल क्षति हेतु सहायता-14-सहायक अनुदान-011- वैयक्तिक अनुदान
1.	महासमुन्द	1300.00
2.	धमतरी	2300.00
3.	गरियाबंद	2900.00
4.	दुर्ग	1200.00
5.	बालोद	2500.00
6.	बेमेतरा	1000.00
7.	राजनांदगांव	4900.00
8.	कबीरधाम	1200.00
9.	बिलासपुर	200.00
10.	कोरबा	300.00
11.	जांजगीर-चांपा	200.00
12.	बस्तर	4500.00
13.	कोण्डागांव	50.00
14.	कांकेर	4000.00
15.	नारायणपुर	400.00
16.	सुकमा	400.00
17.	बीजापुर	1370.00
18.	दंतेवाड़ा	650.00
19.	सूरजपुर	1280.00
20.	कोरिया	300.00

21.	बलौदा बाजार	32.00
	योग	30982.00

- विभागीय आदेश दि० 4.11.2015 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में सूखा को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की जावे।
- उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अर्न्तगत किया जावे।
- उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में, बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावे।
- किसानों को अनुदान सहायता राशि बैंक खाते के माध्यम से ही किया जावे।
- उक्त आबंटन के विरुद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक एवं विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
- उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2016 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी० निहालानी)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 11/01/2016

पृ.क्रमांक एफ 1-157/राजस्व/राहत/2015
प्रतिलिपि :-

- माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
 - विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
 - मुख्य सचिव के उप सचिव, छ०ग०शासन, मंत्रालय रायपुर।
 - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर।
 - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर।
 - संभागीय आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़।
 - संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर।
 - समस्त जिला कोषालय अधिकारी (रायपुर, मुंगेली, रायगढ़, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा को छोड़कर) छत्तीसगढ़।
 - राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 - लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर।
 - स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग